न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः– डॉ. अशोक कुमार RAS

अपील संख्या : 140/2018

भगवान सहाय पुत्र भैरू दत्तक पुत्र नाथू, जाति–बागडा ब्राम्हण, निवासी–ग्राम कालाडेरा तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट,

बनाम

तहसीलदार, चौमू, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेंट्स,

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 13.12.2017 प्रकरण सं0 38/2017)

उपस्थितः–

1. श्री राजेश रूहेला, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पेरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक :28.11.19

यह अपील अपीलान्ट द्वारा ग्राम पटवारी हल्का कालाडेरा द्वारा आराजी ख0नं0 2493 कुल रकबा 1.17 हे0 में से 0.08 हे0 भूमि किस्म गैर–मुमकिन खारडा पर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट तहसीलदार, चौमू द्वारा दिनांक 13.12.2017 को उक्त वादग्रस्त भूमि से भौतिक रूप से बेदखल करने तथा पेनल्टी वसूलने के विरूद्ध पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जा कर रेस्पोडेन्ट को नियमानुसार नोटिस जारी किये गये तथा मातहत न्यायालय तहसीलदार, चौमू से प्रकरण से संबंधित मूल मिसल प्राप्त की गई।

प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट की ग्राम कालाडेरा स्थित भूमि खसरा नं0 2496/1, 2498/3, 2498/2, 2500/1 की दक्षिणी पश्चिमी सीमा को सेटलमेन्ट विभाग द्वारा राजस्व नक्शे में गत नक्शे अनुसार नही बनाया जा कर उत्तरी ओर लगभग 10 मीटर दबाकर नक्शा बना दिया गया जिससे अपीलार्थी की काफी जमीन सीमा रेखा से बाहर कर दी गई जिससे अपीलार्थी की ख0नं0 2493 कुल रकबा 1.17 हे0 में से 0.08 हे0 भूमि को अतिक्रमण मानते हुए हल्का पटवारी द्वारा अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया परन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा निर्णय दिनांक 13.12.2017 द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए बेदखली के आदेश जारी करने पर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश कर अधिनस्थ

Scanned by CamScanner

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.2017 को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया है।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

विद्वान् अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि पटवारी हल्का कालाडेरा अपीलान्ट को इस आशय का एक नोटिस जारी किया गया कि ग्राम कालाडेरा में सम्वत् 2074 में आराजी ख0नं0 2493 रकबा 0.08 हे0 गैर–मुमकिन खारडा पर अपीलान्ट ने बाड लगाकर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम का नोटिस जारी किया गया जिसका अपीलान्ट द्वारा जवाब पेश किया गया परन्तु दिनांक 13.12.2017 को तहसीलदार, चौमू द्वारा जल्दबाजी में प्रकरण को समरी प्रोसेडिंग का होने तथा अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए बेदखली के आदेश पारित कर दिये गये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों का भली–भांति परीशीलन नही किया गया है। न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 23.11.2017 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये थे तथा उनके द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र एवं जवाब नोटिस पेश किया गया तथा आगामी तारीख पेशी 04.12.2017 नियत की गई, दिनांक 04.12.2017 को वकील पक्षकारान द्वारा समय चाहा गया तथा आगामी तारीख पेशी 13.12.2017 अंकित की गई। दिनांक 13.12.2017 को वकील पक्षकारान द्वारा कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया गया ना ही अपीलान्ट 13.12.2017 को न्यायालय में उपस्थित हुआ, जिससे साफ जाहिर है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 13.12.2017 को जल्दबाजी में पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही पारित किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध रंजीशवश रिपोर्ट पेश की गई है जबकि वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि है। अपीलान्ट की भूमि ख0नं0 2496/1, 2498/3, 2498/2, 2500/1 की दक्षिणी पश्चिमी सीमा को सेटलमेंट विभाग द्वारा हाल नक्शें में गत नक्शें के अनुसार नही बनाये जाकर उत्तरी ओर लगभग 10 मीटर दबाकर हाल नक्शा बना दिया गया जिससे अपीलान्ट की काफी जमीन सीमा रेखा से बाहर कर दी गई जिसका की सेटलमेंट विभाग को कोई कानूनी अधिकार नही था। अपीलान्ट के हाल नक्शे में सेटलमेंट विभाग में किया गया अंकन अपीलान्ट के अधिकारों के प्रति प्रारंभ से ही शून्य है। अपीलान्ट द्वारा ख0नं0 2493 रकबा 0.08 हे0 भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही कर रखा है बल्कि अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि पर ही काबिज काश्त है। पटवारी हल्का द्वारा बिना मौके की जांच किये बिना मौके पर गये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है तथा अपीलान्ट को साक्ष्य/सबूत पेश करने के अवसर दिये बिना ही रेस्पोडेन्ट

Scanned by CamScanner

द्वारा दिनांक 13.12.2017 को बेदखली के आदेश पारित कर दिये गये है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.12.2017 को निरस्त किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि प्रकरण में अपीलान्ट भगवान सहाय को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अपीलान्ट द्वारा आराजी ख0नं0 2493 रकबा 0.08 हे0 गैर–मुमकिन खारडा भूमि पर बाड लगाकर विधि विरूद्ध कब्जा कर लिया गया है जिसके कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुरूप आदेश दिनांक 13.12.2017 पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार, चौमू के आदेश दिनांक 13.12.2017 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। तहसीलदार द्वारा आराजी ख0नं0 2493 रकबा 0.08 हे0 गैर–मुमकिन खारडा भूमि मोजा कालाडेरा पर गैर–कानूनी अतिक्रमण होने के कारण भौतिक रूप से बेदखल करने एवं पेनल्टी वसूलने ने के आदेश पारित किये गये है। अपीलान्ट द्वारा अपील में यह अंकित किया है कि अपीलार्थी की भूमि ख0नं0 2496/1, 2498/3, 2498/2, 2500/1 की दक्षिणी पश्चिमी सीमा को सेटलमेंट विभाग द्वारा हाल नक्शें में गत नक्शे अनुसार नही बनाये जा कर उत्तरी ओर लगभग 10 मीटर दबाकर हाल नक्शा बना दिया गया जिससे अपीलार्थी की काफी जमीन सीमा रेखा बाहर कर दी गई। परन्तु अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ ऐसा कोई भी साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नही किया है, जिससे यह साबित होता हो कि सेटलमेंट विभाग द्वारा अपीलार्थी की भूमि के नक्शें में कोई बदलाव किया गया हो। यदि नक्शें में रद्दोबदल किया गया है तो अपीलान्ट द्वारा साक्ष्य के रूप में अपील के साथ प्रमाणित नक्शें की प्रति पेश की जानी चाहिए थी जो अपीलान्ट द्वारा पेश नही की गई है। अपीलान्ट द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नही किया है जिससे यह साबित होता हो कि सेटलमेंट विभाग द्वारा हाल नक्शे को गत नक्शे अनुसार नही बनाया जा कर 10 मीटर दबाकर नक्शा बनाया गया हो। अतः अपील सारहीन होने के कारण अस्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.11.19 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर जिला–जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

28.11.19

(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर

Scanned by CamScanner